



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 34RAJ26005

संख्या : राज/उदय/सीसाजस्ता-04/खंड-III

दिनांक : 26.03.2019

प्रेषित : खान एजेण्ट

बरोई लेड-जिंक खदान

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.

पोस्ट-जावर,,जिला-उदयपुर-313901(राजस्थान)

ईमेल-hanuman.kalawat@vedanta.co.in

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी बरोई लेड-जिंक खदान क्षेत्रफल 3620.00 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

डॉ. ए. जेड खान, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.02.2019 को श्री दीपक प्रभाकर, खान प्रबंधक एवं डॉ. संदीप राजपूत, हेड जियोलोजी के उपस्थिति में किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 19(1)	Log book of heavy earth moving machineries have not been maintained.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.
Rule 46	Notice of appointment of mine manager in Form H has not been submitted.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी. आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो